

वित्तीय बाज़ारों में SRO के लिये ढाँचा

स्रोत: लाइव मटि

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने अनुपालन संस्कृति को सुदृढ़ करने और नीति-निर्माण के लिये एक परामर्श मंच प्रदान करने की दशा में वित्तीय बाज़ारों में स्व-नियामक संगठनों (SRO) की मान्यता हेतु एक ढाँचा/फ्रेमवर्क जारी किया।

- प्रस्तावित SRO उद्योग मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने एवं सदस्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- नए फ्रेमवर्क के तहत SRO गैर-लाभकारी कंपनियाँ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत) होनी चाहिये जिनकी न्यूनतम नविल संपत्ति 10 करोड़ रुपए होनी चाहिये, शेयरधारिता विधि होनी चाहिये, जिसमें कोई भी एकल इकाई चुकता/प्रदत्त शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक हिस्सा नहीं रख सकती।
- SRO प्रायः सरकारी नियामकों के सहयोग से अपने संबंधित उद्योगों या क्षेत्रों को वनियमित करते हैं।
 - SRO अपने सदस्यों और नियामक के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। यह नियामक दशा-निर्देशों के साथ बेहतर अनुपालन, प्रारंभिक चेतवनी संकेतों का विकास, हतिधारकों के हतियों की सुरक्षा एवं नवाचार को प्रोत्साहन सुनिश्चित करेगा।

और पढ़ें: सर्वव्यापी SRO फ्रेमवर्क

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-issues-framework-for-sros-in-financial-markets>